

S.T.C



कमांक 2/718/2010-1एच0बी0-III

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, रोहतक, गुडगांव हिसार मंडल, सभी उपायुक्त/उप मंडल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य में।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
दिनांक, चण्डीगढ़ 25-02-2014

विषय:-

प्राइवेट हस्पताल को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों/पैशनरज व उनके आश्रितों के ईलाज हेतु मान्यता प्रदान करने बारे- **Liver and Biliary Sciences, D-I, Vasant Kunj, N. Delhi-110070 (An Autonomous Society under Government of NCT of Delhi)**

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा सरकार द्वारा **Liver and Biliary Sciences, D-I, Vasant Kunj, N. Delhi-110070** प्राइवेट हस्पताल को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों/पैशनरज व उनके आश्रितों के ईलाज हेतु मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस हस्पताल में करवाए गए ईलाज पर आए खर्चों की प्रतिपूर्ति पी0जी0आई0 चण्डीगढ़/एमज न्यु दिल्ली के रेटस के अनुसार की जाएगी। इस हस्पताल द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन अवश्य किया जाएगा:-

1. This hospital will remain empanelled for a period of 2 years at a time which can be renewed further by the Government keeping in view the performance and track record of the hospital. The period of 2 years will be determined from the date of issue of these instructions.
2. Health Department reserves the right to call for record of treatment of any patient from any empanelled hospital to ensure that no mal-practice takes place.
3. This hospital shall provide treatment to the employees in the event of a life threatening emergency without asking for deposition of the cost of treatment in advance. The patient shall pay the dues before discharge from the hospital. The hospital, however, shall verify the identity of the employee or his/her dependent to avoid impersonation.
4. This hospital shall maintain a record of the treatment of the patients in the format to be prescribed by the Health Department.
5. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

मामले में वित्त विभाग (वित्त विकास-II) द्वारा प्राइवेट हस्पतालों को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों/पैशनरज व उनके आश्रितों के ईलाज हेतु मान्यता प्रदान करने सम्बन्धि निर्णय, प्रशासकीय सचिव, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर, लेने बारे सहमति उनके अर्ध सरकारी पत्र कमांक PS/FCF/2012/Nil दिनांक 4-12-2012 के तहत प्रदान कर दी गई है।

भतदीय

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग | Santosh Kumar

पृष्ठांकन क्रमांक 2/718/2010-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 25-02-2014

प्रेषित है।

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

शुभ

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग Santosh Kumar

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार

अशा: क्रमांक 2/64/2013-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 25-02-2014

एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा: क्रमांक PS/FCF/2012/Nil, दिनांक 4-12-2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शुभ

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग Santosh Kumar

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

अशा: क्रमांक 2/718/2010-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 25-02-2014

पृष्ठांकन क्रमांक 2/718/2010-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 25-02-2014

एक प्रति प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट) प्लॉट न04व 5 रोड-33, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है।

शुभ

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग Santosh Kumar

पृष्ठांकन क्रमांक 2/718/2010-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 25-02-2014

एक प्रति महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, सैक्टर -6 पंचकुला को आवश्यक कार्यवाही हेतु भ्रजते हुए अनुरोध किया जाता है कि संबंधित हिदायतें तथा पूर्व में जारी की गई अन्य सभी हिदायतें तुरन्त स्वास्थ्य विभाग की वेब साईट (<http://haryanahealth.nic.in>) पर डाल दी जायें।

शुभ

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग Santosh Kumar

पृष्ठांकन क्रमांक 2/718/2010-1एच0बी0-III

दिनांक चण्डीगढ़ 25-02-2014

एक प्रति महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि वह वर्णित हिदायतों का आवश्यक प्रचार करें।

शुभ

संयुक्त सचिव स्वास्थ्य

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग Santosh Kumar

कार्यालय महानिदेशक हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़।

पु0 क्रमांक

601-6116

/एसजेए0/ई4

दिनांक

12/3/14

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सभी अधिकारीगण मुख्यालय/सभी ब्रांच ईनचार्ज मुख्यालय
2. सभी महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन
3. उडन दस्ता अधिकारी आई0एस0बी0टी0 दिल्ली
4. सिनियर मैकनिकल इंजीनियर, राजकीय केन्द्रीय कर्मशाला चण्डीगढ़
5. उप परिवहन नियन्त्रक, केन्द्रीय कर्मशाला करनाल, हिसार रोहताक
6. हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कार्रेशन गुडगाव
7. आदेश

शुभ

कृते महानिदेशक

राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ़

12/3/14